रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-11092025-266073 CG-DL-E-11092025-266073

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4 PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 618]

नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 9, 2025/भाद्र 18, 1947 NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 9, 2025/BHADRA 18, 1947

No. 618]

भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 सितम्बर, 2025

फा.सं.ई-14011/3/2024/एलपीएआई-(III).— भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण, केंद्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से, भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 2010 (2010 का 31) की धारा 10 के साथ पठित धारा 35 की उपधारा (2) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण (अधिकारी और अन्य कर्मचारी) भर्ती विनियम, 2016 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात:-

- 1. (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण (अधिकारी और अन्य कर्मचारी) भर्ती संशोधन विनियम, 2025 है।
 - (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण (अधिकारी और अन्य कर्मचारी) भर्ती विनियम, 2016 में, अनुसूची के क्रम संख्या
 त के सामने, स्तंभ (1) में, प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात:-

"7 पत्तन प्रशासक"।

5985 GI/2025 (1)

टिप्पण— मूल विनियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 3, खंड 4 में अधिसूचना संख्यांक 13/12/2012-एलपीएआई, तारीख 03 मार्च, 2016 द्वारा प्रकाशित हुए थे और तत्पश्चात् अधिसूचना संख्यांक ई-14011/1/2020-एलपीएआई, तारीख 23 दिसंबर, 2020 द्वारा और अधिसूचना संख्यांक ई-14011/1/2020-एलपीएआई, तारीख 13 दिसंबर, 2022 द्वारा संशोधित किए गए थे।

जयन्त सिंह, अध्यक्ष [विज्ञापन-III/4/असा./351/2025-26]

LAND PORTS AUTHORITY OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th September, 2025.

F.No. E-14011/3/2024/LPAI.(III).— In exercise of the powers conferred by clause (b) of subsection (2) of section 35 read with section 10 of the Land Ports Authority of India Act, 2010 (31 of 2010), the Land Ports Authority of India, with the previous approval of the Central Government, hereby makes the following regulations further to amend the Land Ports Authority of India (Officers and Other Employees) Recruitment Regulations, 2016, namely:--

- 1. (1) These regulations may be called the Land Ports Authority of India (Officers and Other Employees) Recruitment Amendment Regulations, 2025.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. In the Land Ports Authority of India (Officers and Other Employees) Recruitment Regulations, 2016, in the Schedule against Sl. No. 7, in column (1), for the entry, the following entry shall be substituted, namely:-

"7 Port Administrator.".

Note.—The principal regulations were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, *vide* notification number 13/12/2012-LPAI, dated the 3rd March, 2016 and subsequently amended *vide* notification number E-14011/1/2020-LPAI, dated the 23rd December, 2020; and *vide* notification number E-14011/1/2020-LPAI, dated the 13th December, 2022.

JAYANT SINGH, Chairman [ADVT.-III/4/Exty./351/2025-26]